(बिहार अधिनियम,12,1993)

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (संशोधन साथ)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन –जातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग गठित करने और उनसे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चवालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

अध्याय –1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :– (1) यह अधिनियम पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं :– इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) '' पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है । बिहार अधिनियम 3,1992 से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट या विनिर्देश की जाने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों से भिन्न पिछड़े वर्ग ।

(ख) ''सूची '' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन गठित पिछड़े वगों के लिए राज्य आयोग ।

(ग) '' सूची ''से अभिप्रेत है, नागरिकों के पिछड़े वर्गो, जो राज्य सरकार की राय में राज्य सरकार और राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन सेवाओं में

पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, के लिए नियुक्तियों एवं पदों पर आरक्षण का उपबंध करने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी सूची ।

(घ) ''सदस्य '' से अभिप्रेत है, अध्यक्ष सहित आयोग का कोई सदस्य ।

(ड़) ''विहित '' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित ।

अध्याय 2

पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग ।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राजय आयोग का गठन :– (1) राज्य सरकार एक निकाय, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु गठित करेगी जो पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा ।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे :–

(क) अध्यक्ष,

(ख) एक समाज विज्ञानी,

(ग) दो व्यक्ति जो पिछड़े वर्गो से सम्बद्ध विषयों में विशेष ज्ञान रखते हों, और

(ध) सदस्य सचिव, जो बिहार सरकार के सचिव,विशेष सचिव,अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी है, या रह चुके हैं ।

4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की कार्यालय अवधि एवं सेवा शर्ते :–(1) प्रत्येक सदस्य अपने कार्यभर ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षो की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा ।

(2) कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, के कार्य भी में किसी भी समय इस्तीफा

दे सकता है ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के कार्यभार से हटा सकता है यदि वह व्यक्ति –

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया हैं ,

(ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टता से समबद्ध हैं , के कारण दोष सिद्ध हुआ है तथा कारावास की सजा भुगत रहा हैं,

(ग) जो विक्षप्त हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा चुका हैं,

(ध) जो कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता हैं,

(ड़) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहा है ,या

(च) जिसने राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा को वैसा कलंकित किया हो, जिसके कार्यालय में बने रहने से पिछड़े वर्गों या जनहित की क्षति होती हो,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खंड के अधीन तबतक अपने पद से नहीं हटाया जायेगा, जबतक इस संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

(4) उप–धारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति को नये मनोनयन से भरी जायेगी ।''

(5) अध्याक्ष तथा सदस्यों के देय वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा अन्य बंधेज या शर्त्तें वे ही होंगी जो विहित की जाय ।

5. आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी :– (1) राज्य सरकार आयोग के कार्य –कलापों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए वैसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों,जो आवश्यक हो , की सेवाएं आयोग को उपलब्ध करायेगी ।

(2) आयोग के लिए नियुक्त पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्त्तें वे ही होगी जो विहित की जाये ।

6. अनुदान से भुगतान किये जाने वाले वेतन तथा भत्ते :– अध्यक्ष तथा सदस्यों को दये वेतन तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें पदाधिकारियों तथा अन्य

कर्मचारियों को देय वेतन,भत्ते तथा पेंशन जो धारा –5 मे निर्दिष्ट हैं, का भुगतान धारा 12 की उप –धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा ।

7. रिक्तियां आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अधिविमान्य नहीं करनाः– आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रृटि रहने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी ।

8. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया :– (1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय तथा स्थान पर होगी , जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे ।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा ।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य –सचिव या सदस्य –सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किए जायेंगे।

अध्याय –3

आयोग के कृत्य तथा शक्तियॉ

9. आयोग के कृत्य :–

(1) (क) आयोग सूची में पिछड़े वर्गो के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोध की जॉच करेगा और पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे ।

(ख) संविधान के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम अथवा अनुदेश के अंतर्गत अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने तथा लोक सेवाओं,शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जॉच करेगा एवं राज्य सरकार को यथोचित सलाह देगा ताकि राज्य सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर सके ।

(ग) यमय–समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(2) आयोग की राय मानने के लिए समान्यतः राज्य –सरकार बाध्य होगी ।

10. आयोग की शक्तियॉ :– धारा 9 की उप–धारा (1)के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए, आयोग के वाद का विचारण करने वाली किसी सिविल न्यायालय की प्राप्त सभी शक्तियॉ, और विशेष रूप से निम्नलिखित बातों के संबंद्ध में शक्तियॉ प्राप्त होगी, यथा–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, और शपथ दिलाकर उसकी जॉंच करना,

(ख) किसी दस्तावेज की खोज तथा उसके उपस्थापना की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ— पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना।

(ड.) गवाहों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का आवधिक पुनरीक्षणः— (1)राज्य सरकार, किसी भी समय इस अधिनियम के लागू किये जोने के दस वर्षों की समाप्ति होने पर और उसके बाद प्रत्यके अनुवर्ती दस वर्षों की अवधि पर ऐसी सूची से उन वर्गो को जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हों , हटाने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए पुनरीक्षण कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार उप—धारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग की राय लेगी ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

12.राज्य सरकार द्वारा अनुदान :— (1) राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऐसी रकम का भुगतान आयोग को करेगी, जैसा वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए उचित समझे ।

(2)आयोग इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी राशि खर्च कर सकेगा जैसा वह उचित समझें और ऐसी राशि को धारा —1 में निर्दिष्ट अनुदानों से भुगतेय व्यय के रूप में समझा जायेगा ।

13 लेखा तथा अंकेक्षणः— (1) आयोग समुचित लेखा तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का संवहन करेगा तथा महालेखाकर, बिहार से विचार —विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा वैसे प्रपत्र जो विहित किये जायें, में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2)आयोग के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार द्वारा ऐसे अन्तराल, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पर तथा ऐसे अंकेक्षण में हुए कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार, बिहार को भुगतेय होगा ।

(3)आयोग के लेखा के अंकेक्षण के संदर्भ में महालेखाकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन वे ही अधिकार ओर विशेषाधिकार तथा प्राधिकार रहेंगे जो महालेखाकार, बिहार को सामान्यतया सरकारी लेखा के अंकेक्षण क्रम में प्राप्त हैं और विशेषकर बहियों का लेखा, सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और कागजात के उपस्थापन की मांग करने तथा आयोग के कार्यालयों में से किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त रहेगा ।

14 वार्षिक प्रतिवेदन :— आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें विगत वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों की पूर्ण विवरणी रहेगी तथा इसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

15. राज्य विधान मंडल के समझ वार्षिक प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन का उपस्थापनः— राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गई कार्रवाई से संबंद्ध ज्ञापन तथा प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उपस्थापित किये जानेवाले अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16.आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी का लोकसेवक होना :— भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ।

16. नियमावली बनाने की शक्ति :— (1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनिय के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबंध में उपबंध कर सकेगी, यथा —

(क) धारा 4 की उप—धारा (5) के अधीन अध्यक्ष तथा सदस्यों और धारा 5 की उप—धारा (2) के अधीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्त्तें तथा बंधेज,

(ख) फारम जिसमें धारा 13 की उप—धारा (1)के अधीन वार्षिक लेखा विवरण,

(ग) फारम जिसमें तथा वह समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा,

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके होने की अपेक्षा हो जो विहित किया जाए :

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरत बाद राज्य विधान—मंण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं । जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके तुरत बाद वाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो रूपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद यह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति :— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ओर जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान —मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

19. निरसन और व्यावृत :—(1) पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वितीय अध्यादेश,1993 (बिहार अध्यादेश सं0 17, 1993) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा इनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई एवं अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से